मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59, सी–विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र.)
फोन नं. 0755–2559314, 2555464 फैक्स 2550094
Email – ce_nreg@rediffmail.com, ce.nregs@gmail.com

क्रमांक / 75 / NR-3/IPPE-Cell/2015 भोपाल, दिनांकः 16 / 10 /2015

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला – समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय :– IPPE-II के अंतर्गत सर्वे फार्मस् की छपाई तथा भरे जाने हेतु जानकारी।

––00––

राज्य के चयनित 182 IPPE विकासखण्डों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु वर्ष 2016–17 के लिये गहन रूप से नियोजन किये जाने की प्रक्रिया प्रगति पर है। इसके लिये पूर्व में इस कार्यालय के पत्र क्रं. 8673 दिनांक 03.09.2015 के माध्यम से निर्देश दिये गये हैं। भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार महात्मा गांधी नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इंदिरा आवास योजना तथा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सहभागी नियोजन अभ्यास के सरलीकरण हेतु विभिन्न दृष्टिकोणों से जानकारी एकत्र करने के लिये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ए, बी, सी, डी और ई पांच फार्मस् जारी किये गये हैं। इन पांच फार्मस् के अतिरिक्त, परिवार संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिये एक 'बेस फार्म' भी है। 'बेस फार्म' को विकासखण्ड या ग्राम पंचायत स्तर पर कंप्यूटर प्रिन्टर से मुद्रित किया जायेगा। 'बेस फार्म' को सामान्य ए–4 साइज फोटोकॉपी कागज पर निकाला जायेगा। सर्वेक्षण हेतु अन्य प्रपत्रों को 80 जी एस एम के कागज पर आवश्यक संख्या में काली स्याही से एक साथ आगे–पीछे छपाया जाये, इन फार्मस् (की संख्या और उन) में अंकित की जाने वाली जानकारी का विवरण निम्नानुसार है :–

1. **'बेस फार्म'** : – इस **फार्म** को सामान्य सफेद कागज पर कम्प्यूटर से मुद्रित किया जावेगा तथा सामाजिक, आर्थिक जाति जनगणना (एस.ई.सी.सी.) के अंतर्गत स्वयं सम्मिलित और वंचित (एक या अधिक वंचनायें) वर्ग के सभी परिवारों के लिये भरा जायेगा। इस फार्म में परिवार के विषय में 'एस ई सी सी' के अंतर्गत उपलब्ध जानकारी पहले से ही मुद्रित होगी। इस फार्म को विकासखंड या ग्राम पंचायत स्तर पर कंप्यूटर से ऑनलाइन डाउन लोड करने के बाद, समग्र आई.डी. तथा आधारकार्ड का विवरण, सर्वे के दौरान प्राप्त जानकारी के साथ हाथ से लिखा जावेगा। फार्म ए से ई तक सभी प्रपत्रों में समग्र परिवार आईडी तथा समग्र व्यक्तिगत आईडी लिखा गया है, यह सुनिश्चित किया जावे।
2. **फार्म ए :–** इस फार्म को **हल्के हरे रंग** के कागज पर मुद्रित कराया जाये। **ए फार्म** को एस.ई.सी.सी. सर्वेक्षण के अनुसार परिवारों की सूची में से केवल महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत पंजीकृत जॉबकार्डधारी परिवारों के लिये भरा जायेगा।
3. **फार्म बी :–** इस फार्म को **हल्के नीले' रंग** के कागज पर मुद्रित कराया जाये। बी **फार्म** को एस.ई.सी.सी. सर्वेक्षण के अनुसार परिवारों की सूची में से केवल हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक **(गैर जॉबकार्डधारी के लिये भी)** परिवारों के लिये भरा जायेगा। यह फार्म सामान्य रूप से दो पृष्ठों का होगा, किन्तु NRLM विकासखण्डों के लिये फार्म–बी के पृष्ठ 3 व 4 भी अतिरिक्त रूप से भरे जावेंगें।

4. **फार्म सी :–** इस फार्म को हल्के भूरे/स्लेटी रंग के कागज पर दोनों ओर मुद्रित कराया जाये। सी **फार्म** को बेस फार्म में सम्मिलित परिवारों में से 18 से 35 वर्ष (अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिलाओं के लिये आयु सीमा 18 से 45 वर्ष) के सदस्यों के लिये भरा जावेगा। जिन परिवारों के लिये लाइफ (LIFE.) सर्वेक्षण किया जा चुका है, उन्हें इस फार्म के अंतर्गत पुनः सर्वेक्षित नहीं किया जायेगा अर्थात् उन परिवारों के लिये यह 'फार्म सी' नहीं भरा जायेगा।
5. **फार्म डी :– :–** इस फार्म को हल्के पीले रंग के कागज पर दोनों ओर मुद्रित कराया जाये। **यह फार्म उन सभी परिवारों के लिये भरा जायेगा, जो इंदिरा आवास योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं अथवा उसकी पात्रता रखते हैं।**
6. **फार्म ई :–** इस फार्म को हल्के गुलाबी रंग के कागज पर मुद्रित कराया जाये। ई **फार्म** को बेस फार्म में सम्मिलित ऐसे परिवारों के लिये भरा जावेगा, जो (NSAP) **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम** अथवा राज्य सरकार की सामाजिक सहायता/सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे हैं अथवा इन योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृति की पात्रता रखते हैं।

फार्म ई को मुद्रित कराये जाने हेतु प्रपत्रों की संख्या का निर्णय एसईसीसी सर्वे के अंतर्गत चिंहित – 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजन, 40 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा या विकलांग (18 वर्ष या अधिक आयु) हितग्राहियों की संख्या के अनुसार लिया जाये ।

फार्म ए,बी,सी,डी और ई भारत सरकार की बेवसाईट www.nrega.nic.in पर उपलब्ध हैं, प्रिन्टिंग की सुविधा हेतु इनका हिन्दी रूपान्तरण समस्त जिला पंचायतों को ईमेल पर उपलब्ध करा दिया गया है। ब्लॉक नोडल अधिकारी, IPPE सर्वेक्षण हेतु SECC डाटा से संबंधित निम्नलिखित सूचियां, नियोजन दल को प्लानिंग किट (संलग्न परिशिष्ट–एक) के साथ उपलब्ध करायेंगे –

(अ) SECC डाटा में स्वयं ही शामिल परिवारों की सूची।

(ब) वंचित परिवारों की सूची (एक या अधिक तरह से वंचित परिवार)।

(स) SECC डाटा में स्वयं ही छूटे हुये परिवारों की सूची।

(द) अन्य परिवारों की सूची (SECC डाटा के अंतर्गत सर्वे किये गये परिवार, जो उपरोक्त तीनों श्रेणियों में नहीं आते हैं)।

कृपया, उपरोक्तानुसार अ एवं ब के अंतर्गत आने वाले परिवारों (विवरण संलग्न परिशिष्ट–दो अनुसार) के लिये IPPE सर्वे पूर्ण किया जाकर ग्राम पंचायतवार लेबर बजट तैयार किया जाये तथा कार्ययोजना योजना का अनुमोदन नवम्बर माह में होने वाली ग्रामसभाओं में कराया जावे।

(ए.के. चौधरी)
मुख्य अभियंता
म0प्र0 राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल (म.प्र.)

PLANNING KIT

Each member of the IPPE Village Planning team should carry the following documents/ materials before the planning process. The charge officer should ensure that these materials are available with the BPT member sufficient time ahead of planning exercise.

A. Materials/Documents:

1. Formats for each HH with names pre- filled
2. Copies of the coloured formats (Formats A, B, C, D, E) in sufficient numbers
3. Formats to capture prioriitised works both for community and individuals
4. The list of all jobcard holders in the *Gram Panchayat (GP)*
5. List of all the works already done under MGNREGA in the past and the list of present shelf of works in the GP
6. List of IAY beneficiaries along with the waiting list
7. List of families already surveyed for Skill program
8. Socio Economic Caste Census (SECC) Data
9. Copy of revenue map of village
10. Blank format for registration of new job cards

B. **Stationary list:**

Item	Quantity	Item	Quantity	Item	Quantity
Pen	3	Stamp pad	3	Marker pen	4
Pencil	6	Chart paper	9 (3 colour)	Scissor	2
Eraser & cutter	3	Brown sheet	4	Glue stick	2
Note pad	3	Sketch pen	1 packet	Bindi strips	3 (3 colour)
Stapler with pins	3				

C. **List of Items that the villagers should be asked to carry during the survey process:**

1. Job card.
2. Pass book.
3. Land record of the plot where some treatment is proposed.

b. परिवारों का एक समूह स्वतः शामिल हो जाएगा

निम्नलिखित स्थिति वाला परिवार स्वतः शामिल हो जायेगाः

- बेघर परिवार
- निराश्रित/भिक्षुक
- मैला ढोने वाले
- आदिम जनजातीय समूह
- कानूनी रूप से मुक्त किये गये बंधुवा मजदूर

c. बाकी बचे परिवारों को सात वंचन सूचकांको का प्रयोग करते हुए रैंक दिया जाएगा। सबसे अधिक वंचन स्कोर वाले परिवार को गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की सूची में शामिल करने के लिए सबसे उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

निम्नलिखित वंचन सूचकांक हैं:

- कच्ची दीवारों और कच्ची छत के साथ केवल एक कमरे में रहने वाले परिवार।
- परिवार में 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है।
- महिला मुखिया वाले परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है।
- निःशक्त सदस्य वाले और किसी सक्षम शरीर वाले वयस्क सदस्य से रहित परिवार।
- अनु.जा./अनु.ज.जा. परिवार
- ऐसे परिवार जहां 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई वयस्क साक्षर नहीं है।
- भूमिहीन परिवार जो अपनी ज्यादातर कमाई दिहाड़ी मजदूरी से प्राप्त करते है।